Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 2, 2019 (SRAVANA 11, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd August, 2019

No. 26 HLA of 2019/64/11840.— The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 26— HLA of 2019

THE HARYANA MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019. Short title.

2. In section 9 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act),– Amendment of section 9 of Haryana Act 24 of 1973.

(i) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(1) The municipalities constituted under section 2A shall consist of the president, vice-president and such number of elected members, not less than eleven, as may be prescribed.

(2) Save as provided in sub–section (3), all the seats in the municipality including the president shall be filled in by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the municipal area and for this purpose each municipal area shall, by a notification issued in this behalf, be divided into territorial constituencies to be known as wards.";

(ii) for the first proviso to clause (iii) of sub-section (3), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the persons referred to in clause (i) above shall not have any right to vote in the meetings of the municipalities and the persons referred to in clauses (ii) and (iii) above shall not have any right to vote for the No Confidence Motion and to contest or vote for the election of vice-president.".

Amendment of section 11 of Haryana Act 24 of 1973.

3. In section 11 of the principal Act,–

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Term of office of president and members." ;

(ii) in sub-section (1), for the words "elected members", the words "elected president and members" shall be substituted;

(iii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:–

"(4) When as a result of an enquiry held under Chapter XIV, an order declaring the election of the president or any member void has been made, such president or member shall forthwith cease to be the president or member of the committee.".

Amendment of section 13 of Haryana Act 24 of 1973.

4. For section 13 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

"13. Resignation of president or member of committee.– If the president or a member of a committee wishes to resign his office, he shall submit an application in writing to the Deputy Commissioner. If such resignation is accepted, it shall be notified in the Official Gazette by the State Election Commission, Haryana, on a date not less than fifteen days and not more than sixty days after the receipt of the said application by the Deputy Commissioner whereupon the president or member shall be deemed to have vacated his seat:

Provided that if the president or a member who has submitted an application to resign wishes to withdraw his resignation, he may apply to the Deputy Commissioner within fifteen days of the receipt by the Deputy Commissioner of his application to resign, and the application to resign shall then be deemed to have been withdrawn.".

Amendment of section 13A of Haryana Act 24 of 1973.

5. In section 13A of the principal Act,-

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Disqualifications for president and members.";

(ii) in sub-section (1), for the words "being a member", the words "being the president or a member" shall be substituted;

(iii) in the second proviso to clause (h) of sub-section (1), for the words "qualification shall be 5^{th} pass", the words "qualification for members excluding the president shall be 5^{th} pass" shall be substituted;

(iv) in sub-section (2), for the words "whether a member", the words "whether the president or a member" shall be substituted.

Amendment of section 13B of Haryana Act 24 of 1973.

6. In section 13B of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words "elected members", the words "elected president or member" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "elected member" occurring twice, the words "elected president or member" shall be substituted.

Amendment of section 13I of Haryana Act 24 of 1973.

7. For section 13I of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"13I. Removal of an elected president and member having any disqualification at the time of election.- The State Election Commission may, after such enquiry, as it may deem fit and after giving an opportunity of being heard, by an order, remove the president or a member, if he was having any disqualification mentioned in section 13A or rules framed under this Act at the time of his election. The office of the president or member so disqualified shall become vacant immediately.".

Amendment of section 13J of Haryana Act 24 of 1973.

8. For section 13J of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"13J. Removal of an elected president and member who fails to lodge election expenditure statement.- If an elected president or member fails to follow the provisions of sections 13F or 13H, he shall be removed by the State Election Commission after giving him an opportunity of being heard. The office of the president or member so disqualified shall become vacant immediately.".

9. In section 13K of the principal Act, for the words “A member”, the words “the president or a member” shall be substituted.

Amendment of section 13K of Haryana Act 24 of 1973.

10. In section 14 of the principal Act,-

Amendment of section 14 of Haryana Act 24 of 1973.

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

“Powers of State Government as to removal of president and members.”;

(ii) in sub-section (1),-

(a) for the words “remove any member”, the words “remove the president or any member” shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words “be a member”, the words “be the president or a member” shall be substituted;

(c) in clause (e), for the words “as a member”, the words “as the president or a member” shall be substituted;

(d) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that no removal of the president or a member shall be notified unless the matter has been enquired into by an officer, not below the rank of an Extra Assistant Commissioner, appointed by the State Government and the president or member concerned has been given a reasonable opportunity of being heard or there is a finding by the competent court in this regard.”.

11. In section 14A of the principal Act,-

Amendment of section 14A of Haryana Act 24 of 1973.

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

“Suspension of president and members.”;

(ii) in sub-section (1), for the words “suspend any member”, the words “suspend the president or any member” shall be substituted;

(iii) in sub-section (2), for the words “Any member”, the words “The president or any member” shall be substituted;

(iv) in proviso of clause (ii) of sub-section (2), for the words “a member”, the words “the president or a member” shall be substituted.

12. In sub-section (1) of section 15 of the principal Act, for the words “any member”, the words “the president or any member” shall be substituted.

Amendment of section 15 of Haryana Act 24 of 1973.

13. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Amendment of section 18 of Haryana Act 24 of 1973.

“18. Election of vice-president.– (1) Every Municipal Committee or Municipal Council shall, from time to time, elect one of its elected members to be vice–president:

Provided that if the office of vice-president is vacated during his tenure on account of death, resignation or no confidence motion, a fresh election for the remainder of the period shall be held.

(2) The term of office of the vice-president shall be for a period of five years or for the residue period of his office as a member, whichever is less.”.

14. For section 18A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

Amendment of section 18A of Haryana Act 24 of 1973.

“18A. Time line for Oath of allegiance and election of vice–president.– (1) Unless the State Government otherwise directs, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within thirty days of the publication of the notification of the names of the president and the members elected to a committee, convene the first meeting of the newly constituted committee at forty eight hours notice to be delivered at their ordinary place of residence to administer an oath of allegiance under section 24. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the president and members present.

(2) The Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meetings referred to in sub-section (1), convene a meeting of the president and members at forty-eight hours notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the left over members and that the election of the vice-president shall be held in the meeting. The convener shall firstly administer the oath of allegiance to the left over members and thereafter shall preside over the meeting of the election of the vice-president.

(3) If the president and members fail to elect the vice–president in the meeting convened under sub-section (2), the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, within a period of thirty days of the meeting referred to in sub-section (2), convene meeting of the president and members for the election of the vice-president as per the procedure mentioned above until the vice-president are elected.

(4) If the president and members fail to elect the vice-president in the meetings convened under sub-sections (2) or (3) till the expiry of five months from the date of notification of the elected president and members by the State Election Commission, the Deputy Commissioner or any gazetted officer appointed by him in this behalf shall, convene a meeting of the president and members for the election of the vice-president at forty-eight hours notice to be delivered at their ordinary place of residence. The notice shall clearly state that if the members fail to elect the vice-president in the meeting, the committee shall be deemed to have been dissolved without any further notice or order.

(5) Notwithstanding anything contrary to this Act, if the president and members fail to elect the vice-president in the meetings convened after following the procedure provided under aforesaid provisions till the expiry of six months from the date of notification of the elected president and members, the committee shall be deemed to be dissolved with immediate effect without following any procedure provided under the Act or rules made thereunder:

Provided that such meeting shall be deemed to be validly convened meetings of the committee.

(6) Notwithstanding anything contained in any bye-laws made under section 31, the administration of the oath of allegiance and the election of the vice-president shall be recorded as part of the proceedings in the minutes of the meetings.".

Amendment of section 20 of Haryana Act 24 of 1973.

15. In section 20 of the principal Act,-

(i) in the marginal heading, the words "president or" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), the words "president or" shall be omitted.

Amendment of section 21 of Haryana Act 24 of 1973.

16. In section 21 of the principal Act,-

(i) in the marginal heading, the words "president or" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), the words "president or" shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) If the motion is carried with the support of not less than two-thirds of the elected members of the committee, the vice-president shall be deemed to have vacated his office.";

(iv) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) If a no confidence motion is passed against the vice–president, the Sub-Divisional Officer (Civil) of the area in which the municipality is situated or any other officer not below the rank of an Extra Assistant Commissioner authorized by the Deputy Commissioner shall henceforth exercise the powers and discharge the functions of the vice-president till the vice-president is elected.".

Amendment of section 22 of Haryana Act 24 of 1973.

17. For section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:–

"22. Removal of vice-president.– The State Government may, at anytime, by notification, remove vice-president from his office on the ground of abuse of his power or of habitual failure to perform his duties:

Provided that no removal of the vice-president shall be notified unless the matter has been enquired into by an officer, not below the rank of an Extra Assistant Commissioner appointed by the State Government and vice-president has been given a reasonable opportunity of being heard or there is a finding by the competent court in this regard.".

18. For section 22A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Amendment of section 22A of Haryana Act 24 of 1973.

"22A. Suspension of vice-president.- (1) Director may suspend vice-president of a committee/council where,-

(a) a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, enquiry or trial, if in the opinion of the Director the charge made or proceedings taken against him, are likely to embarrass him in the discharge of his duties or involves moral turpitude or defect of a character;

(b) a case against him in respect of the grounds of removal mentioned under section 22 is under enquiry, after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(2) The vice-president suspended under sub-section (1) shall not take part in any act or proceeding of the committee during the period of suspension and shall hand over the records, money or any other property of the committee/council in his possession or under his control to the president or in case the president is also suspended, to such person as the Director may appoint in this behalf:

Provided that the suspension period of vice-president shall not exceed six months from the date of issuance of suspension order except in criminal cases involving moral turpitude.

(3) Any person aggrieved by an order passed under sub-section (1) may, within a period of thirty days from the communication of the order, prefer an appeal to the State Government.

19. For section 24 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Amendment of section 24 of Haryana Act 24 of 1973.

"24. Notification of elections and nominations.– (1) Every election or nomination of a member and election of the president of a Municipal Committee or Municipal Council shall be notified in the Official Gazette and neither the president nor member shall enter upon his duties until his election or nomination has been so notified and until, notwithstanding anything contained in the Oaths Act, 1969, elected president or members has been or made at a meeting of the Municipal Committee or Municipal Council an oath or affirmation of his allegiance to India and the Constitution of India in the following form, namely:–

"I ________________ having been elected as the president or a member of a Municipal Committee or Municipal Council of _________ do solemnly swear in the name of God that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I shall faithfully discharge the duties upon which I am about to enter.".

(2) Every election of the president or a member shall be notified in the Official Gazette by the State Election Commission not earlier than one week before the expiry of the duration of the existing municipality:

Provided that notification regarding bye–election result shall be published in the Official Gazette by the State Election Commission forthwith.

(3) If any such person omits or refuses to take or make the oath or affirmation as required by sub-section (1) within three months of the date of notification of his election, his election shall be deemed to be invalid for any reason which it may consider sufficient unless the State Government, extends the period within which such oath or affirmation may be taken or made.

(4) If an election is deemed to be invalid under the provisions of sub-section (3), a fresh election shall be held.".

Amendment of section 25 of Haryana Act 24 of 1973.

20. In sub-section (1) of section 25 of the principal Act,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in addition to the aforesaid meeting, every Corporation shall hold atleast one meeting in every six months of a duration of not less than three days.".

Amendment of section 257 of Haryana Act 24 of 1973.

21. After sub-section (6) of section 257 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-

"(7) The State Government shall make rules pertaining to the matters of elections, in consultation with State Election Commission, under this Act.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

(i) The Government has already implemented to conduct the election of Mayors of Municipal Corporations in the State of Haryana, directly by the eligible voters by making the necessary provisions in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 vide notification dated 04.10.2018 on the recommendations of the State Election Commission. Accordingly, successful elections of Mayors in Municipal Corporation, Yamuna Nagar, Karnal, Panipat, Rohtak and Hisar have already been held. The election of Presidents of Municipal Councils/Committees is still holding indirectly by the elected members of the concerned Municipal Councils/Committees. Therefore, it is proposed that on the pattern of election of Mayors of Municipal Corporations, provisions may be made in the Haryana Municipal Act, 1973 to hold the election of Presidents of Municipal Councils/ Committees, directly by the eligible voters under the supervision and control of State Election Commission.

(ii) The Members of the House of the People and the Legislative Assembly of State, representing constituencies which comprise wholly or partly the municipal area, are nominated as member of the concerned Municipalities by the Government by notification as per the provisions of section 9(3)(ii) of the Haryana Municipal Act, 1973 and section 4(3)(ii) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. In the Municipal Corporations these nominated members have no right to vote in the meetings for the election and consideration of resolution for removal of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor of the Corporation. Further, as per the decision dated 11.02.2015 and 07.04.2015 of full bench of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in LPA No. 592 of 2013– Sanjeev Kumar Verma Versus Director, Urban Local Bodies and others filed in CWP No. 15125 of 2012, the Members of House of the People and the Legislative Assembly of the State cannot remain as 'elected member of the Committee' in view of the bar created under Section 13-B of the Act and have no right to vote in the meetings of No Confidence Motion against President and Vice-President as provided in Section 21(3) of the Haryana Municipal Act, 1973. But as per the proviso of Section 9(3) they shall have not any right to contest for the election of President and Vice-President only, and due to only this provision, presently they are voting in the meetings of the election of President and Vice-President. Therefore, equal provisions are required to be made in the Haryana Municipal Act, 1973 similar to the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Therefore, the provision may be made in the proviso of Section 9(3)(iii) of the Haryana Municipal Act, 1973 that Members of House of the People and the Legislative Assembly of State shall not have right to vote in the meetings of election and No Confidence Motion of the Vice-President.

(iii) Presently, there is a provision in Section 25 of the Haryana Municipal Act, 1973, that every committee shall meet for the transaction of business, at least once in every month at such time as may, from time to time, be fixed by the bye-laws. But not much fruitful debate takes place in these meetings due to various reasons. To provide for a dedicated forum for meaningful debates in the interest of the concerned municipality, a provision may be made in Section 25 of the Haryana Municipal Act, 1973 to held atleast one meeting in every six months of a duration of not less than three days, in addition to the existing provisions of meetings mentioned in section 25 of the Haryana Municipal Act, 1973.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd August, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 26–एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 9 में,–

(i) उपधारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''(1) धारा 2क के अधीन गठित नगरपालिकाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जो नियमों द्वारा यथा विहित कम से कम ग्यारह होगी।

(2) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिका में सभी स्थान, इसमें अध्यक्ष शामिल है, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को, इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना द्वारा, वार्डों के रूप में ज्ञात प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (3) के खण्ड (iii) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु उपरोक्त खण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिकाओं की बैठकों में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा उपरोक्त खण्डों (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अविश्वास प्रस्ताव में मतदान करने तथा उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने या मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा।''।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि।'';

(ii) उपधारा (1) में, ''निर्चाचित सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर, ''निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(4) जब अध्याय XIV के अधीन की गई किसी जांच के परिणामस्वरूप अध्यक्ष या किसी सदस्य का निर्वाचन शून्य घोषित करने वाला कोई आदेश कर दिया गया है, तब ऐसा अध्यक्ष या सदस्य उसी क्षण से समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा।''।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''13. समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पदत्याग.– यदि समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद का त्याग करना चाहता है, तो वह उपायुक्त को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत हो जाता है, तो यह उपायुक्त द्वारा उक्त आवेदन की प्राप्ति के बाद कम से कम पन्द्रह दिन तथा अधिक से अधिक साठ दिन के भीतर किसी तिथि को राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तत्पश्चात् यह समझा जाएगा कि अध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है :

परन्तु यदि कोई अध्यक्ष या सदस्य जिसने पदत्याग का आवेदन प्रस्तुत किया है, अपना त्यागपत्र वापिस लेना चाहता है, तो वह अपने पदत्याग के आवेदन की उपायुक्त द्वारा प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उपायुक्त को आवेदन कर सकता है और तब यह समझा जाएगा कि पदत्याग का आवेदन वापिस ले लिया गया है।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 13क में,— 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13क का संशोधन।

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए निरहर्ताएं'';

(ii) उपधारा (1) में, ''सदस्य होने के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए''शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (1) के खण्ड (ज) के द्वितीय परन्तुक में, ''योग्यता पांचवी पास होगी'' शब्दों के स्थान पर, ''सदस्यों के लिए योग्यता अध्यक्ष को छोड़कर, पांचवी पास होगी'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उपधारा (2) में, ''कोई सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या कोई सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 13ख में,— 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13ख का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, ''निर्वाचित सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, ''दो बार आने वाले निर्वाचित सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 13झ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13झ का संशोधन।

''13झ. निर्वाचन के समय कोई निरर्हता रखने वाले निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्य को हटाया जाना.— राज्य निर्वाचन आयोग, ऐसी जांच के बाद, जैसा वह उचित समझे और सुनवाई का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह अपने निर्वाचन के समय धारा 13क या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित कोई निरर्हता रखता था। इस प्रकार निरर्हक अध्यक्ष या सदस्य का पद तुरन्त रिक्त हो जाएगा।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 13ञ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13ञ का संशोधन।

''13ञ. निर्वाचन खर्च विवरण दर्ज करवाने में असफल रहने वाले निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्य को हटाया जाना.— यदि कोई निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य धारा 13च या 13ज के उपबन्धों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद हटाया जाएगा। इस प्रकार निरर्हक अध्यक्ष या सदस्य का पद तुरन्त रिक्त हो जाएगा।''।

9. मूल अधिनियम की धारा 13ट में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष या सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 13ट का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 14 में,— 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 14 का संशोधन।

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाये जाने की राज्य सरकार की शक्तियां।'';

(ii) उपधारा (1) में,

(क) ''किसी सदस्य को हटाना'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाना''शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, ''सदस्य होने'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या सदस्य होने'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खण्ड (ड़) में, ''सदस्य के रूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या सदस्य के रूप में'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जब तक मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी द्वारा, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, न कर ली गई हो, और संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो या इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय न दे दिया गया हो।''।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 14क का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 14क में,–

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''अध्यक्ष तथा सदस्यों का निलम्बन।'';

(ii) उपधारा (1) में, ''किसी सदस्य की निलम्बित'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या किसी सदस्य को निलम्बित''शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) में, ''कोई सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या कोई सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उपधारा (2) के खण्ड (ii) के परन्तुक में, ''किसी सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष या किसी सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 15 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में, ''किसी सदस्य'' शब्द के स्थान पर, ''अध्यक्ष या किसी सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 18 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''18. उपाध्यक्ष का निर्वाचन.– (1) प्रत्येक नगरपालिका समिति या नगरपालिका परिषद्, समय–समय पर, इसके निर्वाचित सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष चुनेगी :

परन्तु, यदि उपाध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण, उसकी पदावधि के दौरान रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।''।

(2) उपाध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए होगी।''।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 18क का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 18क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''18क. उपाध्यक्ष के राजनिष्ठा की शपथ तथा निर्वाचन के लिए समय सीमा.– (1) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं करती, उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, समिति के लिए निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, धारा 24 के अधीन राजनिष्ठा की शपथ दिलाने हेतु उनके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त किए जाने वाले अड़तालीस घंटे के नोटिस पर नव गठित समिति की प्रथम बैठक बुलाएगा। नोटिस में स्पष्ट कथित होगा कि राज्यनिष्ठा की शपथ उपस्थित सदस्यों को दिलाई जाएगी।

(2) उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट बैठकों के तीस दिन की अवधि के भीतर, उनके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त किए जाने वाले अड़तालीस घंटे के नोटिस पर अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक बुलाएगा। नोटिस में स्पष्ट कथित होगा कि शेष रह गए सदस्यों को राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन बैठक में किया जाएगा। संयोजक प्रथमतः शेष रह गए सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा तथा उसके बाद उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष तथा सदस्य उप–धारा (2) के अधीन बुलाई गई बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उप–धारा (2) में निर्दिष्ट बैठक की तीस दिन की अवधि के भीतर, जब तक उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं किए जाते हैं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक बुलाएगा।

(4) यदि अध्यक्ष तथा सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यों की अधिसूचना की तिथि से पांच मास की समाप्ति तक उप–धारा (2) या (3) के अधीन बुलाई गई बैठकों में उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो उपायुक्त या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी, उनके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त किए जाने वाले अड़तालीस घंटे के नोटिस पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक बुलाएगा। नोटिस में स्पष्ट कथित होगा कि यदि सदस्य बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो समिति किसी और नोटिस या आदेश के बिना विघटित की गई समझी जाएगी।

(5) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि उपाध्यक्ष तथा सदस्य, निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यों की अधिसूचना की तिथि से छह मास की समाप्ति तक उपरोक्त उपबन्धों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, बुलाई गई बैठकों में उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, तो समिति अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित किसी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना तुरन्त प्रभाव से विघटित की गई समझी जाएगी :

परन्तु ऐसी बैठकें समिति की वैध रूप में बुलाई गई बैठकें समझी जाएंगी।

(6) धारा 31 के अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाना तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन बैठकों के कार्यवृत्तों में कार्यवाहियों के भाग के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे।''।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,– 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 20 का संशोधन।

(i) उपान्तिक शीर्ष में, ''अध्यक्ष या'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष या'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।

16. मूल अधिनियम की धारा 21 में,– 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 21 का संशोधन।

(i) उपान्तिक शीर्ष में, ''अध्यक्ष या'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष या'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(3) यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो तिहाई निर्वाचित सदस्यों के समर्थन से स्वीकृत हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उपाध्यक्ष ने अपना पद रिक्त कर दिया है।'';

(iv) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(4) यदि उपाध्यक्ष के विरूद्ध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसी समय से उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने तक उपाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन, उस क्षेत्र, जिसमें नगरपालिका स्थित है, का उपमण्डल अधिकारी (सिविल) अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, करेगा।''।

17. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 22 का संशोधन।

''22. उपाध्यक्ष का हटाया जाना.– राज्य सरकार, किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा, उपाध्यक्ष को इसकी शक्तियों के दुरूपयोग के अथवा उसके कर्तव्यों के पालन में प्रायिक असफलता के आधार पर उसके पद से हटा सकती है :

परन्तु उपाध्यक्ष का हटाया जाना तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा मामले की जांच न कर ली गई हो और उपाध्यक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, या सक्षम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न दिया गया हो।''।

18. मूल अधिनियम की धारा 22क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 22क का संशोधन।

''22क. उपाध्यक्ष का निलम्बन.– (1) निदेशक, समिति/परिषद् के उपाध्यक्ष को निलम्बित कर सकता है, जहां.–

(क) किसी दाण्डिक अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है, यदि निदेशक की राय में, उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाहियों से उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है या नैतिक अधमता या किसी आचरण दोष में अन्तर्विलित करता है ;

(ख) धारा 22 के अधीन वर्णित आधारों पर हटाने के संबंध में उसके विरूद्ध कोई मामला, उसको युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अन्वेषण, जांच के अधीन है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निलम्बित उपाध्यक्ष निलम्बन अवधि के दौरान समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, तथा उसके कब्जे में या उसके नियन्त्रणाधीन समिति/ परिषद के अभिलेख, धन या किसी अन्य सम्पत्ति को अध्यक्ष को या अध्यक्ष भी निलम्बित हो तो, ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द करेगा, जिसे निदेशक इस निमित्त नियुक्त करे :

परन्तु उपाध्यक्ष के निलम्बन की अवधि, नैतिक अधमता वाले दाण्डिक मामलों के सिवाय निलम्बन आदेश के जारी होने की तिथि से छह मास से अधिक नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की संसूचना से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 24 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''24. निर्वाचनों और नामनिर्देशनों की अधिसूचना.— (1) किसी नगरपालिका समिति अथवा नगरपालिका परिषद् के किसी सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन या नामनिर्देशन तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और न ही अध्यक्ष और न ही कोई सदस्य अपना कार्यभार तब तक नहीं सम्भालेगा, जब तक उसका निर्वाचन या नामनिर्देशन इस प्रकार अधिसूचित नहीं कर दिया गया हो, और शपथ अधिनियम, 1969 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जब तक निर्वाचित अध्यक्ष या सदस्य नगरपालिका समिति या नगरपालिका परिषद् के अधिवेशन में निम्नलिखित प्ररूप में भारत और भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ नहीं लेता या उसका प्रतिज्ञान नहीं करता, अर्थात् :—

''मैं... नगरपालिका समिति अथवा नगरपालिका परिषद्................... के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा कि मैं उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, जो मुझे सौंपे जाएं।''।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विद्यमान नगरपालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व एक सप्ताह के अपश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा :

परन्तु उप निर्वाचन परिणामों के संबंध में अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तुरन्त राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(3) यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपने निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से तीन मास के भीतर उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित शपथ या प्रतिज्ञान करने का लोप करता है या इन्कार करता है, तो जब तक, राज्य सरकार, उसकी अवधि, जिसमें ऐसी शपथ ली जा सकती है या प्रतिज्ञान किया जा सकता है, नहीं बढ़ाती, तो उसका निर्वाचन ऐसे कारणों के लिए, जिन्हें वह पर्याप्त समझे, अविधिमान्य समझा जाएगा।

(4) यदि उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन कोई निर्वाचन अविधिमान्य समझा जाता है, तो नया निर्वाचन करवाया जाएगा।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 25 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में,—

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु उपरोक्त बैठक के अतिरिक्त, प्रत्येक निगम, कम से कम तीन दिन की अवधि के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा।''।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 257 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (6) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

''(7). राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन, राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, निर्वाचनों के मामलों से संबंधित नियम बनाएगी।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

(क) सरकार द्वारा राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश अनुसार नगर निगमों में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं द्वारा करने के सम्बन्ध में निर्णय लेकर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में अधिसूचना दिनांक 04.10.2018 द्वारा आवश्यक प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। तदानुसार नगर निगम, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक व हिसार में मेयर का चुनाव सफलतापूर्वक किया जा चुका है। नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में प्रधान का चुनाव अभी भी सम्बन्धित नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया जा रहा है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि नगर निगमों में मेयर के चुनाव के समान, नगरपरिषदों/ नगरपालिकाओं में भी प्रधान के पद का चुनाव सीधे तौर पर, राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन व नियन्त्रण में, योग्य मतदाताओं द्वारा करने के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में प्रावधान कर दिया जाये, ताकि एकरूपता बनी रहे।

(ख) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 9(3)(ii) व हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(3)(ii) में वर्णित व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र के सांसद/विधायकों को, सम्बन्धित पालिका में बतौर सदस्य मनोनीत किया जाता है। नगर निगमों में निर्वाचित पार्षदों को वरिष्ठ उप मेयर तथा उप मेयर के चुनाव तथा पद से हटाने के लिये विचार करने की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं है। आगे, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा सिविल याचिका संख्या 15125 ऑफ 2012 में दायर एल.पी.ए. संख्या 592 ऑफ 2013 – संजीव कुमार वर्मा व निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय व अन्य में दिनांक 11.02.2015 तथा 07.04.2015 को दिये गये निर्णय अनुसार, पालिकाओं में बतौर मनोनीत किये गये सांसदों/विधायकों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13बी में लगाई गई रोक के दृष्टिगत अधिनियम की धारा 21(3) की व्यवस्था अनुसार प्रधान/उप प्रधान के अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने का अधिकार नहीं है। परन्तु अधिनियम की धारा 9(3) के परन्तुक में वर्णित व्यवस्था अनुसार सांसदों/विधायकों को केवल प्रधान तथा उप प्रधान का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इस कारण से वर्तमान में ऐसे मनोनीत पार्षद (सांसद व विधायक) प्रधान तथा उप प्रधान के चुनाव की बैठकों में वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के समान हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में भी प्रावधान करना बनता है। इसलिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा (9)(3)(iii) के परन्तुक में यह प्रावधान किया जाये कि सांसद तथा विधायक, पालिकाओं के उप प्रधान के चुनाव तथा अविश्वास प्रस्ताव की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं रखेंगे।

(ग) हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 25 में वर्तमान में यह प्रावधान है कि सामान्यतः प्रत्येक पालिका के कार्य संचालन के लिए कम से कम प्रत्येक माह एक बैठक आयोजित की जाये। परन्तु विभिन्न कारणों से इन बैठकों में लाभदायी बहस नहीं हो पाती है। सम्बन्धित पालिका के हित में, अर्थपूर्ण बहस के लिये समर्पित मंच प्रदान करने हेतु, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 25 में यह प्रावधान किया जाये कि "अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त, सम्बन्धित नगर परिषद/पालिका, प्रत्येक छः माह में एक बैठक, जिसकी अवधि तीन दिनों से कम ना हो, का आयोजन करे।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़: आर०के० नांदल,
दिनांक 2 अगस्त, 2019. सचिव।